[Shri Vithal Gadgil] they give the names alphabetically. They call it the "donkey vote". The result is, the man whose name comes first in the alphabetical order gets elected. In such a situation, perhaps you will find that Mr. Advani wins and Mr. Subra-maniam Swamy loses because people tend to vote for the first man. Therefore, let us not adopt a very complicated system. The present system, by and large, is good.

SHRI RAJNARAIN: It is not complicated.

SHRI BHUPESH GUPTA: Preference is determined by the party. Sir, I am now mentioning my last point.

The last point, Sir, is that our friends on that side do not know why the Congress wins. The Congress wins because it has an able leadership and it is an all-India organisation and it is a dedicated organisation. . .

DR. RAMKRIPAL SINHA: Able in what? Dedicated to what?

SHRI VISWANATHA MENON: Able in doing what?

SHRI VITHAL GADGIL : Therefore, Sir, instead of accepting this fact, they say that money has won. If we prove that money has not won, they say then that caste has won. If we prove that caste has not won, they say that threats have won. If we prove that threats have not won, then they say that the system is wrong and, if you prove that the system is right, they will say that the elections were not held in a proper atmosphere. Now, Sir, atmosphere is something for which you do not have any objective test. Therefore, Sir, **let** them organise themselves on a good programme, let them go to the people with a programme and then let them rule and we do not have any objection at all. But they should not find any excuses and then say that the system is wrong, that the elections were unfair, that money-power won and so on and so forth. All kinds of excuses of this nature are given and such excuses should not be given.

Sir, although I agree with Mr. Prakash Vir Shastri that the system requires **a** second look and a re-examination, personally I do not accept his major promise. Than, you, Sir.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Appropriation Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.
>
> The Speaker has certified that this Bill is a money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

RESOLUTION REGARDING STEPS TO CHECK THE EVER-INCREASING USE OF MONEY POWER AND MISUSE OF GOVERNMENT MACHINERY IN ELECTIONS— *Contd.*

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (बिहार) : उपसभापति जी, यह चुनाव सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने के पहले दो तीन जो आधारभूत चीजें है उनको अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। आधारभूत चीज यह है कि इस देश की जिन्दगी और मौत हमारे जनतंत्र की जिन्दगी और मौत के साथ नत्थी है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने के लिए कभी हमको पार्टी और अपनी दलगत भावनाओं को रखना ही नहीं चाहिए जिसकी अपील प्रकाशवीर शास्त्री जी ने की है।

जनतंत्र के चार मजबूत खम्भे हैं जिनके ऊपर वह रहता है। पहला है बुनियादी अधिकार, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा दो पार्टी सिस्टम और चौथा है निष्पक्ष चुनाव । अगर इन चारों खम्भों को हम मजबूत नहीं रखते हैं तो केवल चुनावों में सुधार करने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है ।

नम्बर तीन जिस पर हमें विचार कर लेना है वह यह है कि चुनाव निष्पक्ष हों। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष के ऊपर है और उससे वह बरी नहीं हो सकता और अगर वह जनतंत्र इस कारण फेल होता है तो उससे भी वह बरी नहीं होता है । मुझे याद है कि सन 1936 में चुनाव हो रहा था । मैं उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार के चुनाव का इनचार्ज था । ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि कांग्रस हारे और उसके डिप्टि कमिशनरों ने हलकारों ने धीरे धीरे कांग्रेस के विरोधी गुटों को पूरी तरह से प्रोत्साहित किया कि वह संगठित हो कर कांग्रेस का मुकाबला करें। लेकिन जिस दिन चुनाव था या जब भी चुनाव का इंतजाम हुआ तो आपको शायद सुनकर भी ताज्जुब होगा कि एक भी कर्मचारी को किसी चुनाव के काम में दखल देने का साहस नहीं हुआ। इतना स्ट्रिक्ट आर्डर जिस हुकूमत का था और अगर उस समय उन्होंने ये मशीनें इस्तेमाल की होती जैसी कि यहां पिछले चुनावों में 4–6 सालों से हम देख रहे हैं, इस तरह पैसे की भरमार होती तो इस तरह से शायद कांग्रेस पावर में चुनावों के जरिये नहीं आती, यह निश्चित है ।

जहां तक चुनाव में पैसा कौन खर्च करता है, बेजा इस्तेमाल हलकारों का कौन करता है, मैं एक ही रेफरेंस आपको दे दूं । वह है राजनारायण जी का चुनाव पिटीशन । उसमें जो स्टेटमेंट हुए हैं, जो गवाहियां हुई हैं, बयान हुए हैं उनको उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर को, जिसके खानदान में लगभग 27 साल तक प्राइम मिनिस्टरी रही, और उस को इतना रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ी कि उसके लिए आर्डिनैन्स विशेष रूप से जारी करना पड़ा । इस चीज को आप कहां छिपा कर ले जाएंगे । मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस देश के सामने इतनी बड़ी मिसालें हों और जब पता लगे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने सरकारी तंत्र और धन का दुरुपयोग किया है तो दूसरी पार्टी भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है । इस साल में 12 क्षेत्रों में चुनाव के टाइम गया था जहां मुख्य मंत्री बहुगुणा जी चुनाव लड़ रहे थे । उनके हल्के में हलकारों का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, पैसों का दुरुपयोग किया गया इसकी कोई सीमा नहीं । आप जानते है सारी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी पर इसलिए आती हैं क्योंकि शासनतंत्र उसके हाथ में है उसका दुरुपयोग कर सकती है । शासन की सारी व्यवस्था का गलत ढंग से फायदा उठा सकती है । इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती । विरोधी पक्ष को तो आप केवल यह कह सकते है, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ नौकरशाही फलाना पार्टी को मदद करते हैं, यह भी दोष किस पर आता है ? आपने जो रास्ते और प्रिंसिपल बताए हैं . . .

श्री हर्ष देव मालवीय : टी० एन० सिंह भी तो वहां मुख्य मंत्री थे । जब उनका चुनाव हुआ तो वे क्यों हार गए ?

माननीय सदस्य : यह तो उनकी ईमानदारी है । *(Interruptions)*

श्री राजनारायण : श्री टी० एन० सिंह ने सरकुलर भेज दिया था कि हमारी कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता । दूसरी और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी हैं कि सारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है ।

श्री हर्ष देव मालवीय : आप पर इंदिरा गांधी का भूत छाया हुआ है ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मुसीबत यह है कि किसी जायज बात को अगर कहा जाए तो आप गर्म हो जाते हैं। आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम तो मिसाल दे रहे हैं। अगर टी० एन० सिंह साहब की कोई मिसाल है तो वह समुद्र में एक बूंद के बराबर है।

अब मैं उन बातों पर आता हूं जिनका जिक्र शास्त्री जी ने किया। उन्होंने बड़े सामयिक प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने जो कहा है कि चुनाव पद्धति में सुधार होना चाहिए तो मैं भी चाहता हूं कि यह निहायत जरूरी है और उसको निष्पक्ष रखना जरूरी है क्योंकि हम को जनतंत्र जिन्दा रखना है। इसके सुझाव में पहली बात यह है कि खर्चे में बढ़ोतरी या कमी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके लिए लिमिट बढ़ा दी जाए जब कि मेरा कहना है कि उस को घटा दिया जाए। बढ़ाइए नहीं। मेरा कहना है कि जितना ही पैसे के फैक्टर को आप चुनाव से दूर कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है। चाहे जिस विधि से हो इसको दूर करना बहुत जरूरी है।

साथ-साथ एक बात और है पार्टियाँ जो पैसा उघाती है, यह जरूरी है कि उसका बाकायदा अकाउंट रखा जाए और उस अकाउंट का आडिट हो चाहे वह जनसंघ पार्टी का हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह बी० एल० डी० का हो या किसी और पार्टी का हो। हम चाहते है कि जितनी भी पार्टियाँ देश में हों उन सब के लिए जरूरी है कि वे अकाउंट मेनटेन करें। उसमें जहां से पैसा आता है वह भी लिखा जाए और जो खर्चा होता है वह भी लिखा जाए। जो आर्डिनेंस आपने जारी किया है कि पार्टियां जो लाखों रुपया खर्च करती है कैंडीडेट के लिए वह उसके खर्चे में शामिल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस को आप वापस ले लीजिए और उसकी जगह यह कर दीजिए कि पार्टी अगर कोई खर्च करती है या कोई इंडिविज्युअल खर्च करता है किसी उम्मीदवार के ऊपर तो वह उसके खर्च में माना जायेगा। अगर आप चुनाव में खर्च के फैक्टर को हटाना चाहते हैं ईमानदारी के साथ तो आपको यह करना होगा।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : पांच बज गए हैं आपकी चर्चा यहां पर ही समाप्त की जाती है।

5 P.M.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : इनको थोड़ा समय और दे दीजिये।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : इनको 5 मिनिट और दे दीजिये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप नियमावली देख लीजिये। 5 बजे के बाद आधे घंटे की चर्चा होनी है। श्री राजनारायण जी, आप बोलिये।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप मुझे पहले बता देते तो मैं अपनी बातें पहले समाप्त कर देता। मैं अपनी बातें पूरी नहीं कह सका हूं। यहां पर चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, लेकिन मैं उसका भी जवाब नहीं दे पाया।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): आप नियमावली देख लीजिये।

श्री राजनारायण : सारा सदन चाहता है, आप इनको थोड़ा समय और दे दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : सारा सदन नहीं चाहता है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : अगर आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं इसके विरोध में बाहर जा रहा हूं। आपने अन्य सदस्यों को 20-20 मिनट दिये हैं।

(इसके पश्चात माननीय सदस्य सदन से चले गये।)